न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून।

फौजदारी वाद संख्या – 2053/2026

राज्य बनाम पंकज सोलंकी

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 389/2026

मु0अ0सं0– 08/2026
धारा– 318(4) भारतीय न्याय संहिता
एवं 66,66सी आई0टी0 एक्ट
थाना– साईबर क्राईम, देहरादून

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री जतिन दुग्गल
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी– श्री भानू प्रताप बिष्ट

निस्तारण द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक– 13.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **पंकज सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र, निवासी– बगरायी खुर्द, झमका, बुलंदशहर, यू0पी0** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त मामले में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में दिनांक 31.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। वर्तमान जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को निरस्त कर दिया गया था। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना पूर्ण कर ली गयी है और न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी भी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को जेल में रखने से अब विवेचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई संभावना है। आरोपपत्र के अनुसार जिन मोबाईल नम्बरों से अपराध कारित होना बताया गया है, वे प्रार्थी/अभियुक्त के नाम पर पंजीकृत नहीं हैं। साथ ही वादी के खाते से प्रार्थी/अभियुक्त के निजी खाते में सीधे धनराशि हस्तांतरण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उक्त अपराध में अधिकतम सजा सात वर्ष तक है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध को गंभीर प्रकृति का व अजमानतीय बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी को व्हट्सअप के माध्यम से APK फाईल का लिंक भेजकर वादी का फोन हैक कर वादी के खाते की जानकारी प्राप्त कर वादी के खाते का दुरूपयोग करने का अभियोग है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 06.02.2026 को एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को खारिज किया जा चुका है। यद्यपि अभियुक्त द्वारा वर्तमान में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के कथन किये गये हैं, किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का व अजमानतीय है। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत मामले के गुण व दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है। तद्नुसार द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित आदेश से निरस्त किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **पंकज सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र सोलंकी** का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 08/2026 अन्तर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता एवं 66,66सी आई0टी0एक्ट निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सहित, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाए और एक प्रति जेल अधीक्षक, देहरादून के माध्यम से अभियुक्त को प्रदान किए जाने के लिए ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाए।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
देहरादून।